[2019] 14 एस. सी. आर. 563

लीलावती किर्तियाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट

ए.

वी.

मेसर्स यूनिक शांति डेवलपर्स एंड ऑर्स। (2016 की सिविल अपील संख्या 12322)

बी.

नवंबर 14,2019

[मोहन एम. शांतनागौदर और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986-एस. 2 (1) (घ) 'वाणिज्यिक उद्देश्य' के अंतर्गत-जब कोई गतिविधि/लेनदेन नहीं होता है।

सी.

उक्त उद्देश्य के लिए-1995 में 29 फ्लैटों को बेचने के लिए किए गए समझौते-अपीलकर्ता-ट्रस्ट ने उक्त फ्लैटों को अपने कब्जे में ले लिया, जिनका निर्माण प्रतिवादी नं. 1 , अपीलार्थी द्वारा संचालित अस्पताल द्वारा नियोजित नर्सों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए हालांकि, संरचना जीर्ण-शीर्ण हो गई और अपीलार्थी ने 2002 में फ्लैट खाली कर दिए-अपीलार्थी द्वारा राष्ट्रीय आयोग-डी के समक्ष दायर शिकायत शुरू में, सीमा द्वारा वर्जित के रूप में खारिज कर दी गई-समीक्षा में, आदेश को वापस ले लिया गया, हालांकि आयोग ने फिर से शिकायत को खारिज कर दिया

इस आधार पर कि अपीलार्थी 'उपभोक्ता' नहीं था। 2 (1) ((घ) जैसा कि उक्त धारा में माल प्राप्त करने वाले व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है और

वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सेवाएँ '-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः एस के लिए स्पष्टीकरण खंड। 2 (1) (घ) 1993 के अध्यादेश No.24 के माध्यम से जोड़ा गया था (बाद में 1993 के संशोधन अधिनियम No.50 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया)-कहा गया संशोधन अधिनियम ने सेवा की परिभाषा में 'आवास निर्माण' को भी जोड़ा। धारा 2 (ओ)-वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी नं. 2 द्वारा निर्मित फ्लैटों का वैध रूप से कब्जा ले लिया। 1 और भुगतान किया।

विचार और इसलिए कहा जा सकता है कि इसका लाभ उठाया है

एफ.

आवास निर्माण सेवाएँ-एस को स्पष्टीकरण। 2 (1) (घ) प्रकृति में स्पष्टीकरणात्मक है और केवल 'उपभोक्ता' की परिभाषा की पुष्टि करता है क्योंकि यह पहले से मौजूद है-अंततः, कोई व्यक्ति उपभोक्ता है या नहीं या कोई गतिविधि वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा-यह व्यक्ति की पहचान नहीं है, बल्कि वह उद्देश्य है

जिसके लिए जी लेनदेन किया गया है जो प्रासंगिक है-इसलिए, अपीलकर्ता जैसे निजी कॉर्पोरेट निकाय अपने कर्मचारियों को अनुलाभ प्रदान करने के उद्देश्य से तीसरे पक्ष की सेवाओं को संलग्न कर सकते हैं-यदि ऐसे सभी मामलों में तीसरा पक्ष सेवा प्रदाता इस आधार पर दायित्व को अस्वीकार करता है कि सेवा का अवक्रेता इसमें लगा हुआ है।

एच.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक व्यापार और वाणिज्य, यह पेंडोरा बॉक्स खोलेगा जिसमें नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारियों के पास कोई उपाय नहीं होगा वस्तु/सेवा की खरीद का लाभ पैदा करने वाली गतिविधि के साथ घनिष्ठ और सीधा संबंध होना चाहिए-अपीलकर्ता ट्रस्ट द्वारा फ्लैटों की खरीद और इसकी लाभ पैदा करने वाली गतिविधियों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है आगे, प्रमुख उद्देश्य परीक्षण को लागू करते हुए, यह नहीं कर सकता है

बी.

यह कहा जा सकता है कि इस तरह की छात्रावास सुविधाओं का प्रावधान अपीलकर्ता न्यास की वाणिज्यिक गतिविधियों का अभिन्न अंग है-नर्सों को छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा फ्लैटों की खरीद का लाभ अर्जित करने के उद्देश्य या किसी भी वाणिज्यिक उपयोग के लिए दूर से भी संबंध नहीं है जैसा कि यू / एस. 2 (1) (डी) और इसलिए, सी. एस. वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है '-अपीलार्थी है

' उपभोक्ता 'यू / एस. 2 (1) (डी) विचाराधीन वर्तमान लेन-देन के लिए विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया-राष्ट्रीय आयोग के समक्ष पुनःस्थापित अपील, जिसे मामले पर शीघ्रता से निर्णय लेना है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

डी.

पकड़नाः 1.1 अस्पताल की नर्सों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अपीलार्थी द्वारा फ्लैटों की खरीद 'वाणिज्यिक उद्देश्य' के लिए योग्य नहीं है। हालांकि धारा 2 (1) (डी) के तहत संदर्भित 'वाणिज्यिक उद्देश्य' शब्द ई को उपभोक्ता के प्रावधानों के तहत कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।

संरक्षण अधिनियम, 1986, सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में इसके पार्श्व शब्दकोश अर्थ के आधार पर इसकी व्याख्या की है। यह सच है कि उक्त निर्णय यह तय करने के संदर्भ में दिए गए थे कि उन मामलों के तथ्यों में जिन वस्तुओं या सेवाओं का लाभ उठाया गया था, वे वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए थे या विशेष रूप से उनके लिए थे।

च. स्व-रोजगार का उद्देश्य। तथापि, इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक मामले में एक नकारात्मक परीक्षण अपनाया जाना चाहिए जिसमें कोई भी गतिविधि जो 'स्व-रोजगार के माध्यम से आजीविका कमाने' के दायरे में नहीं आती है, अनिवार्य रूप से एक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए होगी। उत्तरदाता नंबर 1 के तर्क को खारिज कर दिया गया है।

इस संबंध में। धारा 2 (1) (डी) में स्पष्टीकरण खंड जोड़ा गया था।

जी.

1993 के अध्यादेश संख्या 24 के माध्यम से (बाद में 1993 के संशोधन अधिनियम संख्या 50 द्वारा प्रतिस्थापित)। 1993 के संशोधन अधिनियम संख्या 50 ने 1986 के अधिनियम की धारा 2 (ओ) के तहत 'सेवा' की परिभाषा में 'आवास निर्माण' को भी जोड़ा। वर्तमान मामले में, इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा निर्मित फ्लैटों को वैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया है और उस पर विचार किया है।

उसी के लिए, और इसलिए कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी ए आवास निर्माण सेवाओं का लाभ उठाया है। धारा का स्पष्टीकरण खंड

2 (1) ((घ) 1986 के अधिनियम की प्रकृति केवल स्पष्टीकरणात्मक है। इसलिए स्पष्टीकरण खंड केवल इस परिभाषा की पुष्टि करता है - ' उपभोक्ता 'जैसा कि यह पहले से मौजूद है। अंततः, चाहे कोई व्यक्ति उपभोक्ता हो या नहीं या क्या कोई गतिविधि किसी व्यक्ति के लिए है।

बी.

' उपभोक्ता '। यदि सेवा में कोई कमी है, तो सेवा प्रदाता यह दावा नहीं कर सकता है कि केवल इसलिए कि सेवा का लाभ उठाने वाला व्यक्ति एक लाभ पैदा करने वाली संस्था है, और क्योंकि ऐसा लेनदेन स्व-रोजगार के माध्यम से आजीविका के सृजन से संबंधित नहीं है, वे डी 'उपभोक्ता' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। एक वाणिज्यिक इकाई मामले के तथ्यों के आधार पर एक उपभोक्ता भी हो सकती है। यह व्यक्ति की पहचान नहीं है बल्कि वह उद्देश्य है जिसके लिए लेन-देन किया जाता है। जो प्रासंगिक है। [पैरा 3-5] [570-ई-एफ; 571-एफ-जी; 574-एच; 575 ए-डी-जी]

ई.

1.2 अपीलकर्ता न्यास जैसे निजी निगमित निकाय अपने कर्मचारियों को अनुलाभ प्रदान करने के उद्देश्य से तीसरे पक्ष की सेवाओं को संलग्न कर सकते हैं। यदि तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता इस आधार पर उपभोक्ता मंचों के समक्ष दायित्व को अस्वीकार करता है कि सेवा का अवक्रेता व्यापार और वाणिज्य में लगा हुआ है, तो यह एक पेंडोरा बॉक्स खोलेगा जिसमें नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारियों के पास कोई उपाय नहीं होगा। यह होगा

1986 के अधिनियम के प्रावधानों में उल्लिखित उपभोक्ताओं को त्वरित उपचार प्रदान करने के उद्देश्य को विफल करना। इसके अलावा, इस तरह की मिसाल स्थापित करने से नियोक्ता अपने कर्मचारियों को कोई भी सुविधा प्रदान करने का उपक्रम करने से हतोत्साहित हो सकते हैं। अतः यह

जी.

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ऐसी सेवाओं का प्रावधान

आमतौर पर 'वाणिज्यिक उद्देश्य' की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि हर मामले में एक सीधा सूत्र नहीं अपनाया जा सकता है, लेकिन यह निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित व्यापक सिद्धांतों को अपनाया जा सकता है कि कोई गतिविधि या लेनदेन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है या नहीं। (i) यह सवाल कि क्या कोई लेन-देन एच 566 है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हालांकि, आम तौर पर, 'वाणिज्यिक उद्देश्य' को विनिर्माण/औद्योगिक गतिविधि या व्यापार-से-व्यापार लेनदेन के बीच शामिल करने के लिए समझा जाता है।

वाणिज्यिक इकाइयाँ। ((ii) वस्तु या सेवा की खरीद का लाभ उत्पन्न करने वाले के साथ घनिष्ठ और सीधा संबंध होना चाहिए।

बी.

गतिविधि। (iii) खरीदारी करने वाले व्यक्ति की पहचान या लेन-देन का मूल्य इस सवाल के लिए निर्णायक नहीं है कि क्या यह एक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है। यह देखना होगा कि क्या लेन-देन का प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य किसी प्रकार के लाभ सृजन को सुविधाजनक बनाना था।

ग खरीदार और/या उनके लाभार्थी। ((iv) यदि यह पाया जाता है कि वस्तु या सेवा की खरीद के पीछे प्रमुख उद्देश्य था

खरीदार और/या उनके लाभार्थी के व्यक्तिगत उपयोग और उपभोग के लिए, या अन्यथा किसी वाणिज्यिक गतिविधि से जुड़ा नहीं है, इस सवाल पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या ऐसी खरीद 'स्व-रोजगार के माध्यम से आजीविका पैदा करने' के उद्देश्य से की गई थी। वर्तमान मामले के तथ्यों पर इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, अपीलकर्ता न्यास द्वारा फ्लैटों की खरीद और इसकी लाभ पैदा करने वाली गतिविधियों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। फ्लैट अस्पताल के भीतर किसी भी चिकित्सा/नैदानिक सुविधा के लिए नहीं थे, बल्कि अस्पताल द्वारा नियुक्त नर्सों को समायोजित करने के लिए थे। इसके अलावा,

ई.

नर्सों को बिना किसी किराए के फ्लैट दिए जा रहे थे। इसके अलावा, प्रमुख उद्देश्य परीक्षण को लागू करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह की छात्रावास सुविधाओं का प्रावधान अपीलकर्ता न्यास की वाणिज्यिक गतिविधियों का अभिन्न अंग है। इसलिए नर्सों को छात्रावास सुविधाओं का प्रावधान करना ताकि बेहतर चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रदान की जा सके अस्पताल पर एक सकारात्मक कर्तव्य है ताकि उसके द्वारा किए गए उपचारात्मक देखभाल प्रयासों के लाभकारी प्रभावों को बनाए रखा जा सके। इस तरह का शुल्क अस्पताल द्वारा उत्पन्न अधिशेष या कारोबार की परवाह किए बिना मौजूद है, और इसलिए यह धारा 2 (1) (डी) के तहत परिकल्पित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य या किसी भी वाणिज्यिक उपयोग के लिए दूर से भी संबंधित नहीं है। अतः अपीलार्थी न्यास

जी.

विचाराधीन वर्तमान लेन-देन के लिए 1986 अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के तहत एक 'उपभोक्ता' है। बात यह है कि

राष्ट्रीय आयोग को विचार के लिए भेजा गया

कानून के अनुसार। अपील को राष्ट्रीय आयोग के समक्ष बहाल किया जाता है, और विवादित फैसले को हाफोरसैद की शर्तों में दरकिनार कर दिया जाता है। दलों को उनके लीलावती किर्तील मेहता मेडिकल ट्रस्ट v को रिकॉर्ड करने के लिए निर्वासित किया जाता है।

मेसर्स यूनिक 567 शांति डेवलपर्स

राष्ट्रीय आयोग और राष्ट्रीय ए आयोग के समक्ष साक्ष्य से गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया जाता है और जल्द से जल्द उसी पर निर्णय लें। [पैरा 6-9] [576 बी-एच; 577-ए-डी; 578-ए-ई-जी]

कल्पवृक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम। तोशनीवाल ब्रदर्स

बी.

(बॉम्बे) प्रा. लिमिटेड (2000) 1 एस. सी. सी. 512: [1999] 3 पूरक। एससीआर 619-प्रतिष्ठित।

स्प्रिंग मीडोज अस्पताल बनाम। के. एस. अहलूवालिया, I (1998) सी. पी. जे. 1 (एससी) के माध्यम से हरजोल अहलूवालिया; लक्ष्मी। इंजीनियरिंग वर्क्स वी। पी. एस. जी. औद्योगिक संस्थान (1995)

सी.

3 एससीसी 583 [1995] 3 एससीआर 174; पैरामाउंट डिजिटल कलर लैब बनाम। अगफा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (2018) 14 एस. सी. सी. 81 पर भरोसा किया।

चीमा इंजीनियरिंग सर्विसेज बनाम। राजन सिंह (1997) 1 एससीसी 131: [1996] 8 पूरक। एस. सी. आर. 340; सिंको टेक्सटाइल

डी.

प्रा. लिमिटेड वी. ग्रीव्स कॉटन एंड कंपनी लिमिटेड (1991) 1 सी. पी. जे. 499-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1995] 3 एससीआर 174

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

ई.

(2018) 14 एस. सी. सी 81

उस पर भरोसा करें

पैरा 3 [1996] 8 पूरक। एस. सी. आर. 340 पैरा 3 [1999] 3 सप्लीमेंट को संदर्भित करता है। एस. सी. आर. 619 विशिष्ट पैरा 3 सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2016 की सिविल अपील संख्या 12322 एफ।

2016 के समीक्षा आवेदन संख्या 76 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के दिनांक 25.10.2016 के निर्णय और आदेश से।

जी.

गुरु कृष्ण कुमार, सुश्री संगीता भारती, सुश्री अनुभा धूलिया, सुश्री प्रेरणा मेहता, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।
सुश्री किरण सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एसजे. अमित, सुश्री ऐश्वर्या कुमार, डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, सुश्री आभा आर. शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मोहन एम. शांतनागौदर, जे. 1. यह अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ('राष्ट्रीय आयोग') के दिनांक 25.10.2016 के फैसले से उत्पन्न होती है जिसमें अपीलार्थी के समीक्षा आवेदन संख्या 76/2016 को खारिज कर दिया गया है।

बी.

दिनांकित 1.3.2016 आदेश के विरुद्ध जिसके द्वारा राष्ट्रीय आयोग ने अपीलार्थी की उपभोक्ता शिकायत संख्या 117/2016 को खारिज कर दिया। 2. अपीलार्थी का मामला यह है कि प्रतिवादी नं. 1/विरोधी पक्ष नं. 1 ने ठाणे, महाराष्ट्र में कॉलोनी 'शांति पार्क' में बत्तीस '1 बीएचके' फ्लैटों के साथ दो इमारतें 'मधुवन' विकसित की थीं। इनमें से सी अपीलेंट/शिकायतकर्ता ट्रस्ट ने अपीलेंट ट्रस्ट द्वारा संचालित लीलावती अस्पताल द्वारा नियोजित नर्सों को छात्रावास सुविधाओं के प्रावधान के लिए 29 फ्लैटों का कब्जा ले लिया। 29 प्रत्येक फ्लैट के संबंध में 25.11.1995 पर बेचने के समझौतों को निष्पादित किया गया था, जो 16.3.1996 पर पंजीकृत थे, और इसके लिए पूरी राशि का भुगतान किया गया था। वास्तुकार ने 17.2.1997 पर फ्लैटों के संबंध में डी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया। फ्लैटों का उपयोग 2002 तक छात्रावास सुविधाओं के उद्देश्य से किया जाता था। हालांकि, परियोजना के पूरा होने के दो-तीन वर्षों के भीतर, कथित रूप से खराब इमारत की गुणवत्ता के कारण, संरचना जीर्ण-शीर्ण हो गई। अपीलार्थी ने 2002 में फ्लैट खाली कर दिए और 2004 से फ्लैट अप्रयुक्त पड़े हैं।

इस बीच, एक अंतरिम न्यासी मंडल का गठन किया गया

ई.

इस न्यायालय द्वारा एस. एल. पी. सं. 3772/2014 में दिनांकित 21.5.2014 आदेश द्वारा, जो न्यासियों के विभिन्न समूहों के बीच अपीलार्थी न्यास के नियंत्रण पर विवाद से संबंधित एक अलग मुकदमा है। उपरोक्त अंतरिम न्यासी मंडल ने मेसर्स राजे कंसल्टेंट्स से एक संरचनात्मक रिपोर्ट मांगी, जिसने सितंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें पाया गया कि एफ मरम्मत की लागत पुनर्निर्माण की लागत से अधिक होगी। अपीलार्थी का यह भी दावा है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्थानीय नगर निगम के साथ धोखाधड़ी करके फ्लैटों के लिए व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इसलिए अपीलार्थी ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उपभोक्ता शिकायत सं. 117/2016 दायर की, जिसमें 2002 से 2015 तक किराए के G वार्षिक नुकसान, 'मधुवन' भवन के पुनर्निर्माण की लागत और भविष्य में प्रति वर्ष 3 5,00,000/- रुपये के किराए के नुकसान के साथ-साथ मुआवजे के रूप में 400/- रुपये का दावा किया गया।

प्रारंभ में, राष्ट्रीय आयोग ने दिनांक 1.3.2016 के आदेश द्वारा

शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि शिकायत उठाने के लिए कार्रवाई का कारण 2004 में उत्पन्न हुआ, जिसके बाद से

शांति डेवलपर्स [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

फ्लैट अप्रयुक्त पड़े हैं; हालाँकि शिकायत 2016 में दर्ज की गई थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 अधिनियम) की धारा 24 ए के तहत शिकायत दर्ज करने की सीमा की अवधि दो साल है, इसलिए शिकायत पर समय-प्रतिबंध लगा दिया गया था। राष्ट्रीय आयोग ने आगे कहा कि एस. एल. पी. सं. 3772/2014 (ऊपर) में न्यासियों के बीच लंबित मुकदमेबाजी देरी की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि विवाद संबंधित है।

बी.

अपीलार्थी न्यास के न्यासी मंडल का गठन 2014 में हुआ था जबकि यह अपीलार्थी का मामला नहीं था कि 2004 में जब कार्रवाई का कारण सामने आया तो कोई सक्षम न्यासी मंडल नहीं था।

तत्पश्चात राष्ट्रीय आयोग ने दिनांकित आदेश के विरुद्ध 2016 के समीक्षा आवेदन संख्या 76 की सुनवाई करते हुए विवादित निर्णय दिया।

सी.

1.3.2016 (ऊपर) ने पाया कि उसने उपरोक्त आदेश में गलत तरीके से दर्ज किया था कि 29 फ्लैटों के 'परिवहन विलेख' पर पंजीकृत थे।

16.3.1996 , जबकि अपीलार्थियों द्वारा जो पंजीकृत किया गया था वह वास्तव में बेचने के लिए समझौते थे। इसलिए अभिलेख के सामने इस त्रुटि के कारण, राष्ट्रीय आयोग ने 1.3.2016 दिनांकित आदेश को वापस ले लिया। हालाँकि राष्ट्रीय आयोग ने फिर से डी शिकायत को खारिज करने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया, इस बार इस आधार पर कि अपीलकर्ता ट्रस्ट 1986 के अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के अर्थ के भीतर 'उपभोक्ता' नहीं था क्योंकि उपरोक्त धारा में एक व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया है जो 'वाणिज्यिक उद्देश्य' के लिए सामान और सेवाएं प्राप्त करता है; कि चूंकि नर्सों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना सीधे ई अस्पताल चलाने के वाणिज्यिक उद्देश्य से जुड़ा है, और अस्पताल में उनके द्वारा किए गए काम के लिए विचार किया जाता है, इसलिए अपीलकर्ता 1986 के अधिनियम के तहत 'उपभोक्ता' नहीं होगा। इसलिए यह अपील की गई है।

3. 1986 के अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) 'उपभोक्ता' को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः एफ.
" (घ) "उपभोक्ता" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जो (i) किसी ऐसे प्रतिफल के लिए कोई वस्तु खरीदता है जिसका भुगतान या वादा किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से वादा किया गया है, या

विलंबित भुगतान जब इस तरह का उपयोग ऐसे व्यक्ति की मंजूरी से किया जाता है, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं होता है जो पुनर्विक्रय के लिए या किसी अन्य उद्देश्य

के लिए ऐसी वस्तु प्राप्त करता है।
वाणिज्यिक उद्देश्य; या

((ii) किसी भी सेवा को किराए पर लेना या उसका लाभ उठाना।

ए.

जो भुगतान किया गया है या वादा किया गया है या आंशिक रूप से भुगतान किया गया है और आंशिक रूप से प्रोमिस किया गया है, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत और इसमें उस व्यक्ति के अलावा ऐसी सेवाओं का कोई भी लाभार्थी शामिल है जो भुगतान या वादा किए गए प्रतिफल के लिए सेवाओं को नियुक्त करता है या उनका लाभ उठाता है, या आंशिक रूप से

बी.

भुगतान और आंशिक रूप से वादा किया गया, या विलंबित भुगतान की किसी भी प्रणाली के तहत, जब ऐसी सेवाओं का लाभ पहले उल्लिखित व्यक्ति के अनुमोदन से लिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होता है जो किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए ऐसी सेवाओं का लाभ उठाता है।

सी.

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वाणिज्यिक

उद्देश्य "में किसी व्यक्ति द्वारा खरीदी गई और उपयोग की गई वस्तुओं का उपयोग और उसके द्वारा विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाएं शामिल नहीं हैं। (जोर दिया गया)

डी.

उपरोक्त स्पष्टीकरण खंड को 1993 के अध्यादेश संख्या 24 के माध्यम से धारा 2 (1) (डी) में जोड़ा गया था। 1993 का संशोधन अधिनियम संख्या 50), 18.6.1993 से प्रभावी। 1993 के संशोधन अधिनियम संख्या 50 ने 1986 के अधिनियम की धारा 2 (ओ) के तहत 'सेवा' की परिभाषा में 'आवास निर्माण' को भी जोड़ा।

ई.

वर्तमान मामले में, इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि अपीलार्थी ने वैध रूप से

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा निर्मित फ्लैटों का कब्जा ले लिया गया और उसी के लिए विचार किया, और इसलिए कहा जा सकता है कि उन्होंने इसकी आवास निर्माण सेवाओं का लाभ उठाया है। इस न्यायालय ने स्प्रिंग मीडोज अस्पताल बनाम में निर्णय दिया है। के. एस. अहलूवालिया के माध्यम से हरजोल अहलूवालिया, I

एफ (1998) सी. पी. जे. 1 (एस. सी.), कि जो व्यक्ति किसी लाभार्थी के लिए सेवा लेता है, उसे भी 'उपभोक्ता' की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है।

धारा 2 (1) (घ) (ii)। हालाँकि वह मामला माता-पिता द्वारा अपने नाबालिग बच्चे के लिए अस्पताल की सेवाओं को किराए पर लेने के संदर्भ में था, वही सिद्धांत हो सकता है

वर्तमान जैसे मामले में भी विस्तार किया जाएगा जहां अपीलकर्ता न्यास जैसे नियोक्ता अपने जी कर्मचारियों के कल्याण के लिए कुछ सेवाओं को नियुक्त करते हैं। इसलिए, हालांकि फ्लैटों का कब्जा अस्पताल की नर्सों को आवास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिग्रहित किया गया था, अपीलकर्ता उपभोक्ता के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ दावा करने का हकदार है।

एकमात्र मुद्दा जो हमारे विचार के लिए उत्पन्न होता है

इसलिए यह है कि क्या अपीलकर्ता न्यास के अस्पताल द्वारा नियोजित नर्सों को एच आवास प्रदान करने के उद्देश्य से फ्लैटों की खरीद 571 है।

लीलावती किर्तील मेहता मेडिकल ट्रस्ट v. मेसर्स यूनिक शांति डेवलपर्स

[मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

'वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए सेवाओं की खरीद' के रूप में अर्हता प्राप्त करता है; और परिणामस्वरूप क्या अपीलार्थी को 1986 के अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के तहत 'उपभोक्ता' की परिभाषा से बाहर रखा गया है?

अपीलार्थी के वरिष्ठ वकील श्री गुरु कृष्ण

कुमार ने लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स बनाम में इस न्यायालय के फैसलों के आधार पर तर्क दिया। पी. एस. जी. औद्योगिक संस्थान, (1995) 3 एस. सी. सी. 583, बी और पैरामाउंट डिजिटल कलर लैब बनाम। अगफा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,

(2018) 14 एस. सी. सी. 81, कि न्यायालय को उस प्रमुख उद्देश्य को देखना होगा जिसके लिए खरीद की गई है ताकि यह तय किया जा सके कि क्या यह एक 'वाणिज्यिक उद्देश्य' के लिए था। इस मामले में, फ्लैट खरीदने का प्रमुख उद्देश्य नर्सों को आवास प्रदान करना था और ऐसा नहीं था

सी.

अस्पताल के वाणिज्यिक संचालन से जुड़ा हुआ।

इसके विपरीत, उत्तरदाताओं की वरिष्ठ वकील सुश्री किरण

सूरी ने तर्क दिया कि धारा 2 (1) (डी) के स्पष्टीकरण के तहत, केवल "विशेष रूप से स्व-रोजगार द्वारा आजीविका कमाने के उद्देश्य से" प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं को "वाणिज्यिक" के दायरे से बाहर रखा गया है। उद्देश्य '। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निर्मित फ्लैट डी में छात्रावास सुविधाएं आरामदायक प्रदान करने के उद्देश्य से थीं।

नर्सों के लिए आवास, जो बदले में उनके बढ़ेगा कुशलता और अस्पताल को बेहतर सेवाओं के प्रावधान की ओर ले जाती है। इसलिए फ्लैट अप्रत्यक्ष रूप से वाणिज्यिक उद्देश्य से जुड़े हुए थे

अस्पताल के लिए लाभ में वृद्धि। ऐसी खरीदारी नहीं होगी।

ई.

'स्व-रोजगार द्वारा आजीविका कमाने' की श्रेणी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने लक्ष्मी इंजीनियरिंग (उपरोक्त), चीमा इंजीनियरिंग सर्विसेज बनाम में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। राजन सिंह, (1997) 1 एस. सी. सी. 131, और कल्पवृक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम। तोशनीवाल ब्रदर्स (बॉम्बे) प्रा. लि. लिमिटेड, (2000) 1 एस. सी. सी. 512, उसके तर्क को पुष्ट करने के लिए। 4. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और इस मुद्दे पर प्रासंगिक न्यायशास्त्र को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि अस्पताल की नर्सों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अपीलार्थी द्वारा फ्लैटों की खरीद 'वाणिज्यिक उद्देश्य' के लिए योग्य नहीं है। हालाँकि धारा 2 (1) (डी) के तहत संदर्भित

'वाणिज्यिक उद्देश्य' शब्द को 1986 के अधिनियम के जी प्रावधानों के तहत कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में इसके पार्श्व शब्दकोश अर्थ के आधार पर इसकी व्याख्या की है।

एफ.

लक्ष्मी इंजीनियरिंग (ऊपर) में, जो अग्रणी में से एक है

इस बिंदु पर अधिकारियों, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने 'वाणिज्यिक उद्देश्य' के अर्थ को निम्नानुसार स्पष्ट कियाः

" 10. अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा से पता चलता है कि अधिनियम द्वारा बनाए गए अर्ध न्यायिक निकाय/प्राधिकरण/एजेंसियां जिन्हें जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाता है, वे अदालतें नहीं हैं, हालांकि उनमें दीवानी अदालत की कुछ शक्तियां निहित हैं। वे अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण हैं जो उपभोक्ताओं को सस्ता और त्वरित उपचार प्रदान करने के लिए अस्तित्व में लाए गए हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बड़े व्यापारिक और विनिर्माण निकायों के प्रभुत्व वाले बाजार में उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के मामले में न्याय और उचित व्यवहार प्राप्त करने में मदद करना था। वास्तव में, पूरा अधिनियम उपभोक्ता के इर्द-गिर्द घूमता है और उसके हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम में "उपभोक्ता से व्यवसाय" के विवादों का प्रावधान है न कि "व्यवसाय से व्यवसाय" के लिए।

ए.

बी.

सी.

विवाद। अधिनियम की यह योजना, हमारी राय में, इस अपील में विचार के लिए आने वाले शब्दों के लिए प्रासंगिक है और उनकी व्याख्या करने में मदद करती है। 11. हालाँकि, "वाणिज्यिक उद्देश्य" अभिव्यक्ति के अर्थ के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ है। इसे अधिनियम में भी परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषा के अभाव में, हमें इसके सामान्य अर्थ के अनुसार चलना होगा। " संबंधित वाणिज्यिक "दर्शाता है"

डी.

वाणिज्य "(चैंबर का बीसवीं शताब्दी का शब्दकोश); इसका अर्थ है" वाणिज्य से जुड़ा हुआ, या उसमें संलग्न; व्यापारिक; मुख्य उद्देश्य के रूप में लाभ प्राप्त करना "(कॉलिन्स अंग्रेजी शब्दकोश) जबकि" वाणिज्य "शब्द का अर्थ है" वित्तीय लेनदेन विशेष रूप से बड़े पैमाने पर माल की खरीद और बिक्री "(संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश)। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय आयोग एक सुसंगत दृष्टिकोण रखता रहा है कि जहां कोई व्यक्ति "लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर किसी भी गतिविधि को चलाने के लिए इस तरह के सामान का उपयोग करने की दृष्टि से" सामान खरीदता है, वह

ई.

धारा 2 (घ) (i) के अर्थ में "उपभोक्ता" नहीं होगा।

एफ.

अधिनियम से।
..... स्पष्टीकरण इस प्रश्न को कम कर देता है कि "वाणिज्यिक उद्देश्य" क्या है, प्रत्येक मामले के तथ्यों में तय

किए जाने वाले तथ्य के प्रश्न के लिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि माल का मूल्य क्या है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि खरीदे गए माल का उद्देश्य क्या है। कई शब्द

जी.

स्पष्टीकरण में नियोजित, अर्थात। , " "विशेष रूप से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्य से" और "स्व-रोजगार के माध्यम से" उनका उपयोग करने से संसद का इरादा बहुत स्पष्ट हो जाता है कि खरीदी गई वस्तुओं का उपयोग खरीदार द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए खुद को नियोजित करना चाहिए। (जोर दिया गया)

लीलावती किर्तीलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट v. मेसर्स यूनिक शांति डेवलपर्स [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.] लक्ष्मी इंजीनियरिंग में उपरोक्त चर्चा में, इस ए कोर्ट ने सिंको टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड पर भरोसा किया। लिमिटेड वी. ग्रीव्स कॉटन एंड कंपनी लिमिटेड, (1991) 1 सीपीजे 499। सिंको टेक्सटाइल्स में, वी. बालकृष्ण एराडी जे. की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय आयोग की 4 सदस्यीय पीठ ने 1986 बी की धारा 2 (1) (डी) में स्पष्टीकरण खंड को शामिल करने से पहले 'वाणिज्यिक उद्देश्य' शब्द के अर्थ की व्याख्या की।

अधिनियमः

" 3 ..... " किसी भी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए" शब्द इतने व्यापक हैं कि उन सभी मामलों में उपयोग किया जा सकता है जहां माल सीधे लाभ उत्पन्न करने के उद्देश्य से किसी भी गतिविधि में उपयोग किया जाता है।

4. सी परिभाषा खंड में उपयोग किए गए शब्दों के सादा शब्दकोश अर्थ को देखते हुए संसद का इरादा होना चाहिए

लाभ अर्जित करने के लिए वस्तुओं की खरीद और बड़े पैमाने पर गतिविधि की जाती है।
6. अपीलकर्ता कंपनी द्वारा किए जाने वाले व्यापार के लिए खाद्य तेलों के उत्पादन की वाणिज्यिक गतिविधि और उत्पादन सेटों की खरीद के उद्देश्य के बीच एक करीबी और सीधा संबंध है, क्योंकि उत्पादन सेटों का उपयोग करने का इरादा था, जब भी आवश्यकता हो, बिजली का प्रवाह उत्पन्न करने के लिए।

व्यापार के उद्देश्य से खाद्य तेलों का निर्माण। इसलिए, हम जी राज्य आयोग द्वारा लिए गए इस विचार में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं कि अपीलार्थी 'उपभोक्ता' नहीं है। हाल ही में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें हम में से एक शामिल है, ने पैरामाउंट डिजिटल कलर लैब (उपरोक्त) में इस बात पर फिर से जोर दिया है कि जिस उद्देश्य के लिए वस्तु या सेवा का लाभ उठाया जाता है और बड़े पैमाने पर लाभ गतिविधि एच 574 के बीच एक 'करीबी संबंध' होने के महत्व पर जोर दिया गया है।

ए इस तरह के लेन-देन को वाणिज्यिक प्रकृति के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः

" 12 ..... इसलिए यह स्पष्ट है कि "वाणिज्यिक गतिविधि" के बावजूद, क्या कोई व्यक्ति "उपभोक्ता" की परिभाषा के दायरे में आएगा या नहीं, यह हर मामले में तथ्य का सवाल होगा। इस तरह का सवाल

बी.

तथ्य का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किया जाना चाहिए।

17. चूंकि अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वे चाहते थे कि मशीन को एक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए स्थापित किया जाए और न कि विशेष रूप से स्व-रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने के उद्देश्यों के लिए, राष्ट्रीय आयोग ने यह निष्कर्ष निकालकर उचित नहीं ठहराया कि अपीलकर्ताओं ने एक वाणिज्यिक उद्यम चलाने के लिए एक संचालक या सहायक की सेवाओं का उपयोग किया है। एक मशीन को सौंपे गए काम को पूरा करने के लिए कई ऑपरेटरों या सहायकों की आवश्यकता नहीं होती है। चूँकि अपीलार्थी दो भागीदार थे, वे अपने दम पर काम कर रहे होंगे, निश्चित रूप से, उनके साथ हो सकता है

डी.

किसी सहायक या संचालक की सहायता। मशीन का उपयोग बड़े पैमाने पर लाभ कमाने की गतिविधि में नहीं किया जाता, बल्कि इसके विपरीत, अपीलकर्ताओं ने मशीन को अपनी उपयोगिता, व्यक्तिगत संचालन और अपने छोटे उद्यम के लिए खरीदा, जिसे उन्होंने आजीविका बनाने के लिए शुरू किया था। यह बड़े पैमाने पर ई विनिर्माण या प्रसंस्करण गतिविधि से अलग है जो भारी मुनाफे के लिए की जाती है। मशीन की खरीद के लेन-देन और लाभ अर्जित करने के लिए की गई कथित बड़े पैमाने की गतिविधि के बीच कोई करीबी संबंध नहीं है। चूँकि अपीलार्थियों को कोई रोजगार नहीं मिला था और वे बेरोजगार स्नातक थे, वह भी बिना वित्त के, इसलिए उनके लिए व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण जुटाना स्वाभाविक है।

अपनी आजीविका कमाने के लिए छोटे पैमाने पर फोटोग्राफी "। इसलिए पैरामाउंट डिजिटल कलर लैब (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि अपीलार्थियों के फोटोग्राफी व्यवसाय के लिए एक मशीन की खरीद, जो एक छोटे पैमाने का व्यवसाय था, उनकी कमाई के लिए था।

जी आजीविका की व्याख्या 'वाणिज्यिक उद्देश्य' के रूप में नहीं की जाएगी। 5. यह सच है कि उपरोक्त निर्णय यह तय करने के संदर्भ में दिए गए थे कि क्या उन मामलों के तथ्यों में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं या सेवाएं वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए थीं या विशेष रूप से स्व-रोजगार के उद्देश्य के

लिए थीं। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले में एक नकारात्मक परीक्षण अपनाया जाना चाहिए जिसमें कोई भी गतिविधि

'स्वयं के माध्यम से आजीविका कमाने' के दायरे में नहीं आता है, रोजगार अनिवार्य रूप से एक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए होगा। हम इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 के तर्क को अस्वीकार करते हैं। 1986 के अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) का स्पष्टीकरण खंड केवल स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का है, जैसा कि इस न्यायालय ने लक्ष्मी इंजीनियरिंग (उपरोक्त) में रेखांकित किया थाः

स्पष्ट करें कि अधिनियम में क्या निहित था। ऐसा नहीं है कि कानून सी है जिसे उक्त स्पष्टीकरण द्वारा बदला गया है; इसे केवल स्पष्ट किया गया है। इसलिए स्पष्टीकरण खंड केवल परिभाषा की पुष्टि करता है।

'उपभोक्ता' जैसा कि यह पहले से मौजूद है। अंततः, कोई व्यक्ति उपभोक्ता है या नहीं या कोई गतिविधि वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ऐसा मामला हो सकता है कि वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई वस्तु खरीदी हो या किसी सेवा का लाभ उठाया हो और उपभोग, या किसी लाभार्थी के व्यक्तिगत उपयोग के लिए, और ऐसी खरीद उनकी सामान्य लाभ पैदा करने वाली गतिविधियों या स्व-रोजगार के सृजन ई से जुड़ी नहीं है। ऐसा व्यक्ति अभी भी 'उपभोक्ता' होने का दावा कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक बड़ा निगम एक की सेवाओं को नियुक्त कर सकता है

कैटरर या अपने कर्मचारियों के लिए एक समारोह आयोजित करने के लिए एक 5 सितारा होटल और

उनके परिवार। यदि सेवा में कोई कमी है, तो सेवा प्रदाता यह दावा नहीं कर सकता है कि केवल इसलिए कि सेवा का लाभ उठाने वाला व्यक्ति एक लाभ पैदा करने वाली संस्था है, और क्योंकि ऐसा लेनदेन स्व-रोजगार के माध्यम से आजीविका के सृजन से संबंधित नहीं है, वे 'उपभोक्ता' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। एक वाणिज्यिक इकाई मामले के तथ्यों के आधार पर एक उपभोक्ता भी हो सकती है। यह व्यक्ति की पहचान नहीं है, बल्कि वह उद्देश्य है जिसके लिए लेन-देन किया जाता है।

जी.

प्रासंगिक है।

6. अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए नियोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में, यह ध्यान रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि हम एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में रहते हैं, जिसमें नैतिकता यह निर्धारित करती है कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रावधान करने के लिए बाध्य हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियोक्ताओं द्वारा किए गए कल्याणकारी उपाय एच 576

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

श्रमिकों के स्वास्थ्य और दक्षता में वृद्धि, और इसलिए नियोक्ता इकाई की समग्र उत्पादकता में सुधार। हालाँकि यह एक कर्तव्य है कि इसे सभी नियोक्ता संगठनों द्वारा साझा किया जाए, न कि केवल वे जो अपनी उत्पादकता/लाभ को बढ़ाना चाहते हैं। यह दायित्व इस बात की परवाह किए बिना मौजूद है कि संगठन एक वर्ष में कितना लाभ या कारोबार करता है, हालांकि यह वित्तीय स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकता है।
बी.

नियोक्ता की क्षमता। इसलिए अपीलकर्ता न्यास जैसे निजी निगमित निकाय प्रदान करने के उद्देश्य से तीसरे पक्ष की सेवाओं को संलग्न कर सकते हैं।

अपने कर्मचारियों के लिए अनुलाभ। उदाहरण के लिए, एक नियोक्ता एक कर्मचारी के लिए उड़ान टिकट या ट्रेन टिकट बुक कर सकता है ताकि उनकी सुविधा हो सके।

एस.

व्यवसाय के सामान्य क्रम में यात्रा करें। अगर कोई लापरवाही होती है कर्मचारी या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के परिणामस्वरूप, एयरलाइन/रेलवे कंपनी इस आधार पर दायित्व को अस्वीकार नहीं कर सकती है कि गतिविधि एक 'वाणिज्यिक उद्देश्य' के लिए की गई थी।

जैसा कि पहले चर्चा की गई है, यदि ऐसे सभी मामलों में तृतीय पक्ष सेवा

डी.

प्रदाता उपभोक्ता मंचों के समक्ष इस आधार पर दायित्व को अस्वीकार करता है कि सेवा का अवक्रेता व्यापार और वाणिज्य में लगा हुआ है, यह एक पेंडोरा बॉक्स खोलेगा जिसमें नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारियों के पास कोई उपाय नहीं होगा। यह 1986 के अधिनियम के प्रावधानों में उल्लिखित उपभोक्ताओं को त्वरित उपचार प्रदान करने के उद्देश्य को विफल कर देगा। इसके अलावा, इस तरह की मिसाल स्थापित करने से नियोक्ता अपने कर्मचारियों को कोई भी सुविधा प्रदान करने का उपक्रम करने से हतोत्साहित हो सकते हैं। इसलिए, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ऐसी सेवाओं के प्रावधान को आमतौर पर वाणिज्यिक उद्देश्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा।
7. उपरोक्त चर्चा से संक्षेप में, हालांकि हर मामले में एक सीधा एफ जैकेट सूत्र नहीं अपनाया जा सकता है, यह निर्धारित करने के लिए कि कोई गतिविधि या लेनदेन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है या नहीं, निम्नलिखित व्यापक सिद्धांतों को निकाला जा सकता हैः

((i) यह प्रश्न कि क्या कोई लेन-देन वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हालांकि, आम तौर पर,

जी.

' वाणिज्यिक उद्देश्य 'को विनिर्माण/औद्योगिक गतिविधि या वाणिज्यिक संस्थाओं के बीच व्यापार-से-व्यवसाय लेनदेन को शामिल करने के लिए समझा जाता है।

((ii) वस्तु या सेवा की खरीद का लाभ पैदा करने वाली गतिविधि के साथ घनिष्ठ और सीधा संबंध होना चाहिए।

(iii) खरीदारी करने वाले व्यक्ति की पहचान या लेन-देन का ए मूल्य इस सवाल के लिए निर्णायक नहीं है कि क्या यह एक वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है। यह देखना होगा कि क्या लेन-देन का प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख उद्देश्य खरीदार और/या उनके लाभार्थी के लिए किसी प्रकार के लाभ सृजन की सुविधा प्रदान करना था। ख (iv) यदि यह पाया जाता है कि वस्तु या सेवा खरीदने के पीछे प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत उपयोग के लिए था और

खरीदार और/या उनके लाभार्थी की खपत, या अन्यथा किसी वाणिज्यिक गतिविधि से जुड़ी नहीं है, इस सवाल पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या ऐसी खरीद 'स्व-रोजगार के माध्यम से आजीविका पैदा करने' के उद्देश्य से की गई थी।

8. वर्तमान मामले के तथ्यों पर इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता न्यास द्वारा फ्लैटों की खरीद और इसकी लाभ पैदा करने वाली गतिविधियों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। फ्लैट नहीं थे

डी.

अस्पताल के भीतर किसी भी चिकित्सा/नैदानिक सुविधाओं के लिए लेकिन अस्पताल द्वारा नियोजित नर्सों को समायोजित करने के लिए। इसके अलावा, नर्सों को बिना किसी किराए के फ्लैट दिए जा रहे थे। यह प्रत्यर्थियों का मामला नहीं है कि अपीलकर्ता फ्लैटों पर कब्जा करने या फ्लैटों की खरीद-बिक्री में शामिल होने से कोई अधिशेष उत्पन्न कर रहा था।

ई.

फ्लैट।

ऐसा हो सकता है कि नर्सों के लिए आरामदायक छात्रावास सुविधाओं का प्रावधान, उनके नियोक्ता के प्रति कृतज्ञता और वफादारी की भावना पैदा करता है और उनकी समग्र दक्षता में सुधार करता है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से अस्पताल अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और इसलिए अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।

एफ आय। हालाँकि, यह एक अनुमान का विषय है और अस्पताल के कर्मचारियों को आवास के प्रावधान और अपीलार्थी के लाभ में वृद्धि के बीच कोई प्रत्यक्ष कारण श्रृंखला नहीं है।

कल्पवृक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट (उपरोक्त) में निर्णय, जिस पर उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किया गया था, उनका समर्थन नहीं करता है क्योंकि यह तथ्यों के एक अलग समूह पर था। उस मामले में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक नैदानिक केंद्र द्वारा सी. टी. स्कैन मशीनों की खरीद को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

'वाणिज्यिक उद्देश्य' का अर्थ। मशीन, चिकित्सा उपकरण आदि की खरीद और नैदानिक केंद्र/अस्पताल के संचालन के बीच एक स्पष्ट प्रत्यक्ष संबंध है। वर्तमान मामले में ऐसी कोई खरीद शामिल नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए.

इसके अलावा, प्रमुख उद्देश्य परीक्षण को लागू करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि

इस तरह की छात्रावास सुविधाओं का प्रावधान अपीलार्थी न्यास की वाणिज्यिक गतिविधियों का अभिन्न अंग है। ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का सर्वोपरि उद्देश्य नर्सों की जरूरतों को पूरा करना और उन लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करना है जिनके पास शहर में स्थायी आवास की कमी है, ताकि

नर्सों को महत्वपूर्ण भूमिका के लिए पुरस्कृत करें जो वे सह के रूप में निभाते हैं

बी.

रोगियों की देखभाल के अध्यादेशकर्ता और संरक्षक।

नर्सें रोगियों के तेजी से ठीक होने में मदद करती हैं और अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन हैं क्योंकि वे रोगियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध एकमात्र संसाधन हैं। वे अस्पताल सेवा की गुणवत्ता के सभी पहलुओं में सीधे शामिल हैं, चाहे वह अस्पताल में हो।

सी.

रोगियों के ठीक होने की निगरानी, बेडसाइड दवा प्रबंधन या सर्जरी और अन्य प्रमुख ऑपरेशनों में सहायता का रूप। कुछ स्थितियों में वे चिकित्सा जटिलताओं को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे उपचार के प्रबंधन और मूल्यांकन की अग्रिम पंक्ति में हैं, और अमूल्य भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं क्योंकि वे जटिलताओं को समझने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं और

डी.

गंभीर बीमारी होने के प्रभाव।

इसलिए नर्सों को छात्रावास सुविधाओं का प्रावधान करना ताकि बेहतर चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रदान की जा सके, अस्पताल पर एक सकारात्मक कर्तव्य है ताकि उसके द्वारा किए गए उपचारात्मक देखभाल प्रयासों के लाभकारी प्रभावों को बनाए रखा जा सके। इस तरह का शुल्क उत्पन्न अधिशेष या कारोबार के बावजूद मौजूद है।

ई.

अस्पताल द्वारा, और इसलिए धारा 2 (1) (डी) के तहत परिकल्पित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य या किसी भी वाणिज्यिक उपयोग के लिए दूर से भी संबंधित नहीं है।

9. इसलिए हम पाते हैं कि अपीलकर्ता न्यास विचाराधीन वर्तमान लेन-देन के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) के तहत एक 'उपभोक्ता' है। उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम कानून के अनुसार विचार के लिए मामले को राष्ट्रीय आयोग को भेजना उचित समझते हैं। राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील की अनुमति दी जाती है और उसे बहाल किया जाता है, और आक्षेपित निर्णय को उपरोक्त शर्तों में दरकिनार कर दिया जाता है। पक्षकारों को राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य जी को दर्ज करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और राष्ट्रीय आयोग से अनुरोध किया जाता है कि वे गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई करें और जल्द से जल्द इस पर निर्णय लें।

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।